ई–मेल/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/4083 लखनऊ दिनांक – 21 /02/2019

विषय– राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम–2003 का उलंघन किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वालॅण्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–यू0पी0वी0एच0ए0/टी0सी0पी0/323/2019, दिनांक 20 फरवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महानिदेशालय को अवगत कराया गया है कि आपके जनपद–गाजियाबाद में में ई–सिगरेट की खुली बिक्री की जा रही है, जो कि जनमानस के स्वास्थ्य के लिए घातक है तथा प्रदेश में चलाये जा रहे सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम–2003 के अर्न्तगत निहित नियमों/उपनियमों का उलंघन है।

कृपया प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–397/6–प0–15–2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में ई–सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त आपको अवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2017 एवं 10.09.2017 को जनपद–गौतमबुद्ध नगर में होने वाले International Expo on E-Cigarette "VAPEEXPO" कार्यक्रम को भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनपदीय प्रशासन विभाग द्वारा उक्त आयोजन को त्वरित आवश्यक कार्यवाही करते हुए स्थगित किया गया था।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का प्रभावी अनुपालन में तथा प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–397/6–प0–15–2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में तत्काल उक्त प्रकरण पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा उक्त सूचना अधोहस्ताक्षरी की ई–मेल–nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

पृष्ठांकन संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–(ई–मेल के माध्यम से)

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेशा शासन।
3–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
4–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5–उपमहाप्रबंधक, एन0सी0डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6–आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि आप सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 अधिनियम के प्रभावी अनुपालन हेतु तत्काल ई–सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7–जिला अधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप उक्त प्रकरण का व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
8–मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ,
9–अध्यक्ष/अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

ई–मेल/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/ लखनऊ दिनांक – 21 /02/2019

विषय– राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम–2003 का उलंघन किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वालॅण्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–यू0पी0वी0एच0ए0/टी0सी0पी0/323/2019, दिनांक 20 फरवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महानिदेशालय को अवगत कराया गया है कि आपके जनपद–गाजियाबाद में में ई–सिगरेट की खुली बिक्री की जा रही है, जो कि जनमानस के स्वास्थ्य के लिए घातक है तथा प्रदेश में चलाये जा रहे सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम–2003 के अर्न्तगत निहित नियमों/उपनियमों का उलंघन है।

कृपया प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–397/6–प0–15–2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में ई–सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त आपको अवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2017 एवं 10.09.2017 को जनपद–गौतमबुद्ध नगर में होने वाले International Expo on E-Cigarette "VAPEEXPO" कार्यक्रम को भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनपदीय प्रशासन विभाग द्वारा उक्त आयोजन को त्वरित आवश्यक कार्यवाही करते हुए स्थगित किया गया था।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का प्रभावी अनुपालन में तथा प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–397/6–प0–15–2017, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में तत्काल उक्त प्रकरण पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा उक्त सूचना अधोहस्ताक्षरी की ई–मेल–nodal.ntcp.up@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

पृष्ठांकन संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/4084-92 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–(ई–मेल के माध्यम से)

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेशा शासन।
3–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
4–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5–उपमहाप्रबंधक, एन0सी0डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
6–आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि आप सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 अधिनियम के प्रभावी अनुपालन हेतु तत्काल ई–सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7–जिला अधिकारी, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप उक्त प्रकरण का व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
8–मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ,
9–अध्यक्ष/अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

Phone : 0522-2725586
E-mail : upvhalko@gmail.com
upvha_lko@yahoo.com
Website : http://upvha.org

Uttar Pradesh Voluntary Health Association

5/459 Viram Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010

Ref. No. .... *Date*..............................

UPVHA/TCP/ 323 /2019 20th February 2019

To,

The State Nodal Officer,
National Tobacco Control Program
STCC, Lucknow

Subject: Regarding sale of e-cig in Ghaziabad violating orders of GoUP dated 14 November 2017

Dear Sir,

Greetings from UPVHA!

As you are aware E-Cigarettes causes harm to health for everyone, in this regard Govt of UP by order dated 14 Nov 2017 has banned the sale of e-cig, copy enclosed.
Further Govt of India MoHFW by advisory dated 28.8.18 has also banned, subsequently Department of Revenue has issued Circular Nov 2018 for implementation of order dated 28.8.18.Copy enclosed.

In this context the undersigned on 13.2.19, found retail outlet 24×7 selling e-cig along with tobacco products in Vaishali, Ghaziabad. Copy of photos, receipts enclosed.
The said sale is illegal and in direct violation of law and specific orders of GoUP and Central Government of India.

In view of the above, you are requested to take appropriate action against offenders

Thanking you,

(Vivek Awasthi)
Executive Director

Encl: As above.

फैक्स / ई–मेल

संख्या– 397 / 6–पु0–15–2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2–पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
4–समस्त पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5–समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
6–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7–पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण) उ0प्र0।

गृह(पुलिस)अनुभाग–15 लखनऊ: दिनाँक 15 नवम्बर, 2017

विषय: "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम–2003," (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तगण को प्रेषित एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ व श्री सतीश कुमार त्रिपाठी, राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 स्वास्थ्य तथा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को पृष्ठांकित शासन के पत्र संख्या 682 / 6 पु0–15–2015 दिनांक 7–10–2015 का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 7–10–2015 द्वारा उ0प्र0 में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों को हत्तोसाहित करने के लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम 2003 के कतिपय प्राविधानों को मण्डलायुक्त के नेतृत्व में लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी है, तथा सी0ओ0टी0पी0ए0–अधिनियम 2003 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मण्डलायुक्तगण को स्वयं नेतृत्व प्रदान करते हुए मण्डलीय समीक्षा बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को इस विषय के बारे में संवेदनशील बनाये जाने तथा मण्डल स्तर पर प्रोबेशनरी आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 / आई0पी0एस0 / पी0पी0एस0 अधिकारियों को इस कार्यक्रम में अपना योगदान हेतु अवसर प्रदान किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

3– उक्त आदेशों के कम में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों को हत्तोसाहित करने के लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम–2003 के प्रभावी कियान्वयन / प्रवर्तन हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

(1) पुलिस विभाग मे सिगरेट एव अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की समीक्षा, अनुश्रवण रिपोर्टिंग एव प्रवर्तन हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी को नामित करते हुये इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(2) शासन के पत्र संख्या--682 / 6--पु0--15--2015 दिनांक 07, अक्टूबर, 2015 के अनुपालन मे सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्राविधानो के कियान्वयन की नियमित मासिक समीक्षा मण्डलायुक्त, उ0प्र0 के स्तर पर की जाय।

(3) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या--डीजी--सात--एस--3(249) / 2007, दिनांक--23, दिसम्बर, 2014 द्वारा जारी निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जनपदो से प्रतिमाह अनुपालन आख्या प्राप्त कर राज्य स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा इसका अनुश्रवण भी किया जाय।

4- पुलिस विभाग की मासिक काईम रिपोर्ट मे सिगरेट एव अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को सम्मिलित करते हुये मासिक काईम रिव्यू बैठक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को ऐजेण्डा के रूप मे सम्मिलित किया जाए, तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या डीजी--सात--एस--3(249) / 2007, दिनांक--23, दिसम्बर, 2014 के अनुपालन मे समयान्तर्गत आख्या उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

5- जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व मे जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्यरत है, के सहयोग से जनपद के समस्त थाना प्रभारी को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 का कड़ाई से अनुपालन किये जाने एवं अधिनियम का अनुश्रवण एव प्रवर्तन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहयोग से लगभग 2 घण्टे 30 मिनट का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण (orientation) कार्यकम किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रशिक्षण / उन्मुखीकरण कार्यकम मे आवश्यकतानुसार राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं वोलेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया का तकनीकी सहयोग / परामर्श प्राप्त किया जा सकता है, जिसका दूरभाष एवं ई--मेल नं0 निम्नवत् है:--

(1) nodal.ntcp.up@gmail.com ,दूरभाष नं0 --05222629705

(2) healthpromotion@vhai.org , दूरभाष नं0--01147004300

6- जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ का सहयोग लेते हुये पुलिस विभाग के अन्तर्गत सभी थानों / चौकियों को तम्बाकू--मुक्त घोषित करवाते हुये वहाँ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा--4 के अनुसार साइनेज लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस थाना / चौकी परिसर में आगन्तुकों / अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग नही किया जाए।

7- सिगरेट एव अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे जनपद स्तरीय प्रवर्तन दलों का गठन किया जाय, जिसके सदस्य निम्नवत होंगे:-

(1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (3) नगर स्वास्थ्य अधिकारी, (4) जिला विद्यालय निरीक्षक, (5) बेसिक शिक्षा अधिकारी, (6) मुख्य खाद्य निरीक्षक।

8– पुलिस प्रशिक्षण के समस्त पाठ्यक्रमों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को सम्मिलित किया जाय व पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों पर सी0ओ0टी0पी0ए0, 2003 का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

9– भारत सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में किये गये संशोधन के कम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र संख्या–रा0तम्बाकू प्रकोष्ठ/2017–18/763, दिनांक–11/07/2017 (छायाप्रति संलग्न) का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय, यथा–धूम्रपान प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सेवा नही प्रदान की जानी चाहिए यथा–हुक्का बार, खाने–पीने आदि की सुविधाओ पर प्रतिबन्ध।

10– Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा–18 (सी), Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 की धारा–77, Motor Vehicle Act, 1988 की धारा–95 (एच), Criminal Procedure Code की धारा–144, Indian Penal Code, 1860 की धारा–268, धारा–269 एवं **धारा–278 का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

11– Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा–18 (सी), के अनुसार प्रदेश में ई सिगरेट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाये जाने के संबध में यथा आवश्यकता पुलिस विभाग द्वारा सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

12– शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1958/पॉच–7–2015–रिट–45/2013, दिनांक–06, अक्टूबर, 2015 द्वारा विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना उ0प्र0 राज्य में खुली सिगरेट की बिकी पर पूर्ण प्रतिबध लगाया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन एवं प्रवर्तन किये जाने हेतु आवश्यक पुलिस सहयोग प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाय।

13– होटल एवं रेस्टोरेन्ट में स्मोकिंग जोन के लिये सिगरट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 के नियम एवं उपनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

14– विषय की महत्ता के दृष्टिगत (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम–2003 के प्राविधानो के प्रभावी कियान्वयन हेतु पूर्व के निर्गत शासनादेश दिनांक 7–10–2015 के अनुकम में यह आवश्यक है कि विभागीय स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाय। पुलिस महानिदेशालय स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को राज्य स्तर का नोडल अधिकारी नामित करते हुए अधिनियम के प्राविधानो के कियान्वयन के संबंध में कृत कार्यवाही की नियमित मासिक समीक्षा करते हुए शासन को अपनी विश्लेषणात्मक आख्या प्रत्येक माह के 15 तारीख तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जाय ताकि गृह विभाग के स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा की जा सकें। पुलिस महानिदेशक द्वारा मासिक समीक्षा की विश्लेषणात्मक आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 के ई–मेल nodal.ntcp.up@gmail.com एवं

गृह(पुलिस)अनुभाग--15 उ0प्र0शासन के ई--मेल--homepolice015@gmail.com पर भी उपलब्ध करायी जाय।

''सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन) अधिनियम--2003,'' (सी0ओ0टी0पी0ए0--2003) के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियो का प्रयोग एवं कर्तव्यो का पालन हेतु ''समुचित प्राधिकारी'' अधिकृत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर अधिनियम के प्राविधानो के कियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है जिसका जिले के जिलाधिकारी के साथ समुचित समन्वय करते हुए उपयोग किया जा सकता है। पुलिस विभाग के स्तर पर यह भी अपेक्षित है कि अधिनियम के प्राविधानो के कियान्वयन हेतु शैक्षिक कार्यकम का आयोजन, काउन्सिलिग की व्यवस्था आदि पर विशेष बल दिया जाय ताकि अधिनियम के प्राविधानो का कियान्वयन मात्र दण्डात्मक हो करके न रह जाय। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो COTPA के नोडल अधिकारी है, (तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ इनके अधीन कार्यरत है) उनसे समन्वय स्थापित कर आवश्यक धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

कृपया उपयुर्क्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए शासन को कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
2-- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 विशाल कम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
3-- श्री सतीश कुमार त्रिपाठी, राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4-- सहायक प्रोग्रामर, गृह नियन्त्रण कक्ष, उ0प्र0शासन।
5-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
उप सचिव।

Circular No. 46/2018 – Customs

F.No. 394/121/2018-Cus(AS)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs
(Anti-Smuggling Unit)
***

New Delhi, dated 27th November, 2018

To

All Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners of Customs / Customs (Preventive).
All Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners of Customs & CGST.
All Principal Commissioners/Commissioners of Customs / Customs (Preventive).
All Principal Commissioners/Commissioners of Customs & CGST.
The Director General, Directorate of Revenue Intelligence

Madam / Sir.

Subject: Advisory on Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) including e-Cigarettes, Heat-Not-Burn devices, Vape, e-Sheesha, e-Nicotine Flavoured Hookah, and the like products – reg.

Kind attention is invited to the subject advisory dated 28.08.2018 issued by the Ministry of Health & Family Welfare vide F.No. P-16012/19/2017-TC. A copy of the said advisory is enclosed as **Annexure - I.**

2. Considering the adverse health impact of ENDS/E-Cigarettes and in order to prevent the initiation of nicotine through ENDS by non-smokers and youth, with special attention to vulnerable groups, the Ministry of Health & Family Welfare has issued the aforesaid advisory to ensure that any ENDS including e-Cigarettes, Heat-Not-Burn devices, Vape, e-Sheesha, e-Nicotine Flavoured Hookah, and the like devices that enable nicotine delivery are not sold, manufactured, distributed, traded, imported and advertised, except for the purpose and in the manner and to the extent, as may be approved under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules made thereunder.

3. In view of the above, it is requested that all the officers under your jurisdiction may be directed to ensure implementation of the aforesaid advisory by referring import consignments of ENDS including e-Cigarettes, Heat-Not-Burn devices, Vape, e-Sheesha, e-Nicotine Flavoured Hookah, and the like devices / products to the Assistant / Deputy Drugs Controller in their jurisdiction. The Assistant / Deputy Drugs Controllers may thereafter check the compliance of such goods in terms of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules made thereunder. Based on the report of the Assistant / Deputy Drugs Controller, non-compliant consignments should not be allowed clearance and appropriate action should be initiated for violation of provisions of the Allied Act (Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules made thereunder).

Difficulties faced, if any, may be brought to the notice of the Board.

Yours faithfully,

Encl: As above

27/11/18
(Rohit Anand)
Under Secretary to the Government of India

F. No- P-16012/19/2017-TC
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare

Dated, the 28th August, 2018

Advisory on Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) including e-Cigarettes, Heat-Not-burn devices, Vape, e-Sheesha, e-Nicotine Flavoured Hookah, and the like products

******

Whereas, Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) are devices that heat a solution to create an aerosol, which frequently also contains flavours, usually dissolved into Propylene Glycol or/and Glycerin. Electronic cigarettes, the most common prototype, are devices that do not burn or use tobacco leaves but instead vaporise a solution, which the user then inhales. The main constituents of the solution, in addition to nicotine when nicotine is present, are propylene glycol, with or without glycerol and flavouring agents. ENDS solutions and emissions contain other chemicals, some of them considered to be toxicants. Although ENDS is generally considered a single product class, these products constitute a diverse group with potentially significant differences in the production of toxicants and mechanisms for delivery of nicotine;

And whereas, Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) aerosol contains nicotine, the addictive component of tobacco products. In addition to creating dependence, nicotine can have adverse effects on the development of the foetus during pregnancy. It may contribute to cardiovascular disease to the people who use ENDS. Also, nicotine may function as a "tumour promoter" and seems to be involved in the biology of malignant diseases. Foetal and adolescent nicotine exposure may have long-term consequences for brain development, potentially leading to learning and anxiety disorders. A number of metals - including lead, chromium, and nickel, and chemicals like formaldehyde have been found in aerosols of some ENDS, with concentrations equal to or greater than traditional cigarettes, under normal experimental conditions of use. As such, the evidence is sufficient to warn children and adolescents, pregnant women, and women of reproductive age against ENDS use and nicotine;

And whereas, nicotine is prohibited for use as an ingredient in any food item under the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 of the Food Safety and Standards Act, 2006;

And whereas, both Nicotine and Nicotine Sulphate are listed as hazardous chemicals in the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 made under the Environment (Protection) Act, 1986;

And whereas, nicotine is also listed as an insecticide in the Schedule of Insecticides under the Insecticide Act 1968, and subsequently its use as a pesticide is also highly restricted by Government of India;

And whereas, there are possibilities that children, adolescents & youth (and generally non-smokers) will initiate nicotine use through ENDS at a rate greater than expected if ENDS did not exist; and that, once addicted to nicotine through ENDS, such children, adolescents & youth are likely to switch to cigarette smoking;

And whereas, the scientific evidence regarding the effectiveness of ENDS as a smoking cessation aid is scant and of low certainty, making it difficult to draw credible inferences. The Drugs and Cosmetics Act, 1940 & Rules, 1945 permit the use of Nicotine up to 2 mg and 4 mg in gums, lozenges and strips, which may be used as aids for Nicotine Replacement Therapy (NRT). However, such a product should adhere to the provisions of Chapter IV of the Drugs and Cosmetics Act & Rules made thereunder, which require them to be manufactured under a valid drug manufacturing license and also a valid sales license for products containing more than 2mg of nicotine. ENDS are not yet approved as NRTs under the Drugs and Cosmetics Act;

And whereas, the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India conducted a Roundtable discussion on Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) in 2014, wherein eminent doctors, specialists, scientists and officers of Health and Drug departments concluded that available scientific evidences indicate that the ENDS and similar technologies that encourage tobacco use, are hazardous for an active as well as passive users and have an adverse impact on public health;

And whereas, the State Governments of Punjab [Vide Circular dated 5.9.13]; Karnataka [Vide Circular dated 15th June, 2016]; Mizoram [Vide Circular dated 8th

June, 2016]; Kerala [Vide Order dated 1st August, 2016]; Jammu & Kashmir [Vide Circular dated 24th July, 2017]; Uttar Pradesh [Vide Order dated 14th November, 2017]; Bihar [Vide Order dated 28th November, 2017] have prohibited the manufacture, distribution, import and sale of Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS);

And whereas, as per the World Health Organization Report on the Global Tobacco Epidemic 2017, the Governments of thirty (30) countries including Mauritius, Australia, Singapore, Korea (Democratic People's Republic), Sri Lanka, Thailand, Brazil, Mexico, Uruguay, Bahrain, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates etc. have already banned Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) in their countries;

Now therefore, it is evident that Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) including e-Cigarettes, Heat-Not-Burn devices, Vape, e-Sheesha, e-Nicotine Flavoured Hookah, and the like devices or products available by whatsoever name, that enable nicotine delivery or its use, are a great health risk to public at large, especially to children, adolescents, pregnant women and women of reproductive age. It is also evident that ENDS are not approved as NRTs under the Drugs and Cosmetics Act and Rules made thereunder.

As such, the States/Union Territories are advised in larger public health interest and in order to prevent the initiation of ENDS by non-smokers and youth with special attention to vulnerable groups, to ensure that any Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) including e-Cigarettes, Heat-Not-Burn devices, Vape, e-Sheesha, e-Nicotine Flavoured Hookah, and the like devices that enable nicotine delivery are not sold (including online sale), manufactured, distributed, traded, imported and advertised in their jurisdictions, except for the purpose & in the manner and to the extent, as may be approved under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules made thereunder.

This issues with the approval of Competent Authority.

(T. Chinsum Naulak)
Under Secretary
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Copy for information and necessary action to:

Principal Secretary (Health) of All States / UTs

TWENTY FOUR SEVEN,
Ground Floor, Plot No.1
Shop No-101-104,
Sector 5, Vaishali
Ghaziabad-201301
[illegible]-4576490
GSTIN : [illegible]
[illegible]

Bill No. [illegible] Date [illegible]/02/2019

To [illegible]

HSN	Product					
PRICE	Qty	Total Amount	Disc	GST %	Net Amount
[illegible] PREMIUM E VAPES FULL FLAVOUR					
449.00	1.00	449.00	0.00	18	449.00

Total 1 449.00

Gross Amount 449.00
Bill Amount 449.00

GST Summary

GST %	Taxable Amt	CGST	SGST	CESS	ROFF	TOTAL
18	[illegible]	34.25	34.25	0.00	-0.01	449.00
Total	[illegible]	34.25	34.25	0.00	-0.01	449.00

Payment Details

[illegible] 449.00

Bill Time [illegible]/02/2019 [illegible]:45:12 PM
Billed by SAHIL

Thank you for shopping at
TWENTY FOUR SEVEN CONVENIENCE STORES
GPPL. Regd. office: Metropolis Building, Ground Floor
next to Kala Chowky Post Office,
Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Lalbaug, Mumbai - 400 033.
Customer Care - 7827-247-247
Contact us - [illegible]@[illegible].com
www.twentyfourseven.in
CIN : [illegible]
THANK YOU PLEASE VISIT AGAIN

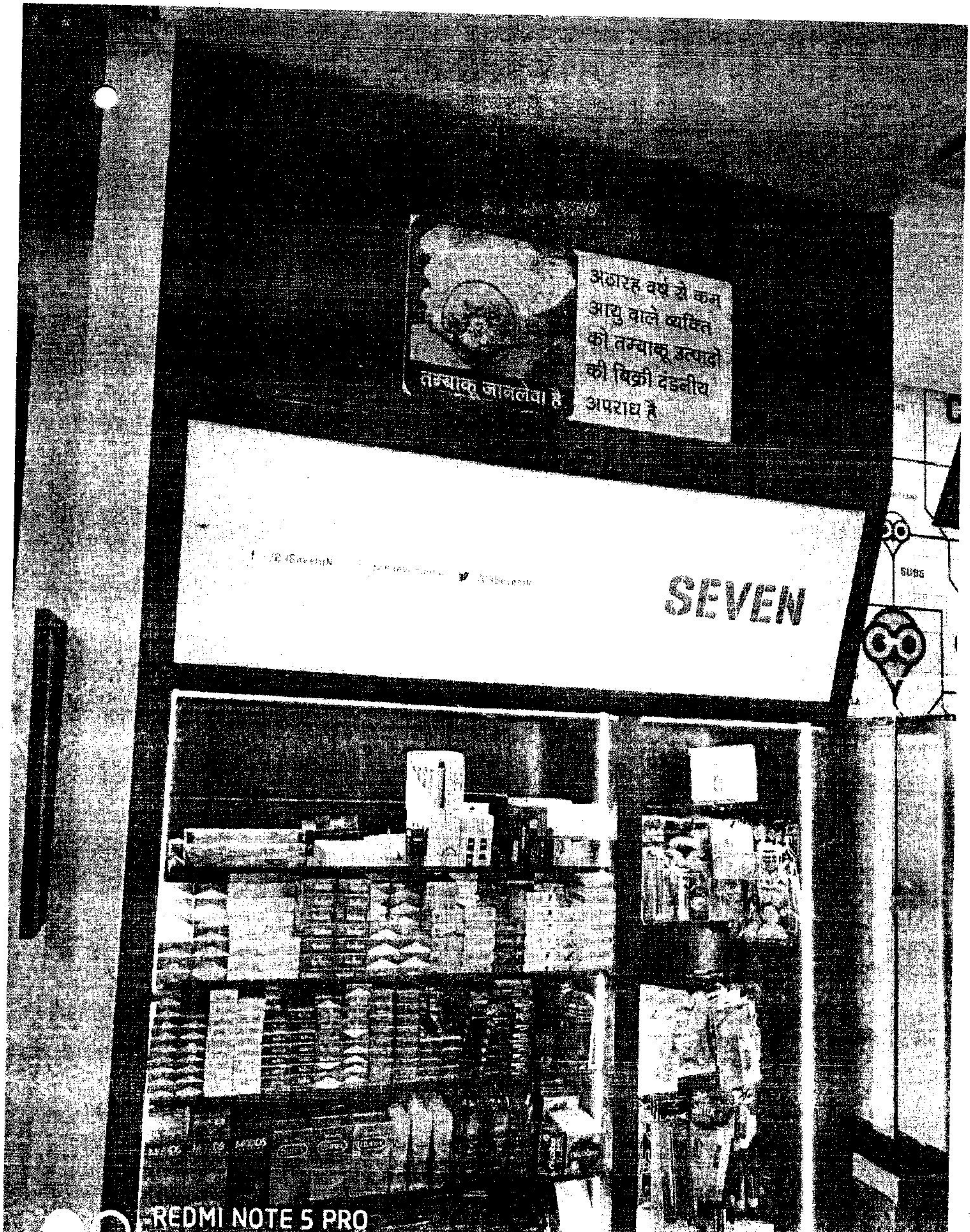
तम्बाकू जानलेवा है
अठारह वर्ष से कम
आयु वाले व्यक्ति
को तम्बाकू उत्पादों
की बिक्री दंडनीय
अपराध है
SEVEN
REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA